

15.07.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। समयपक्ष अनुपरिथत। वादी व उनके नियुक्त अधिवक्ता को विधिवत तीन बार आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी वादी स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई वैध प्रतिनिधि वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हाजिर नहीं आये।

अतः वादी के वादपत्र, को वादी पक्ष की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सुपक्षर प्राधकार
कलियाकर (सि.स.स.) अत.

